<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 1228

13 फरवरी, 2019 को उत्तर के लिए

सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं में घरेलू इस्पात का उपयोग

1228. डा. के. वी. पी. रामचन्द्र रावः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास सभी सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं में घरेलू इस्पात के उपयोग को अनिवार्य किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा घरेलू इस्पात उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रस्ताव पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): जी हाँ। सरकार ने सरकारी खरीद में घरेलू विनिर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पादों (डीएमआई एंड एसपी) को वरीयता प्रदान करने की नीति को दिनांक 8 मई 2017 के भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित किया।

(ख) और (ग): नीति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

(i) यह नीति सरकारी खरीद में घरेलू विनिर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों (डीएमआई एंड एसपी) को वरीयता प्रदान करती है।

(ii) यह नीति, इस नीति के परिशिष्ट 'क' में दिए गए निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुपालन में, जैसा कि लागू है, उत्पादित लोहा और इस्पात उत्पादों पर लागू होगी।

(iii) यह नीति सरकार के प्रत्येक मंत्रालय या विभाग और उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी एजेंसियों/कंपनियों पर सरकारी परियोजनाओं में लोहा एवं इस्पात उत्पादों की खरीद के लिए लागू है न कि वाणिज्यिक पुनःबिक्री या वाणिज्यिक बिक्री में माल के उत्पादन हेतु उपयोग के उद्देश्य के लिए है।

नीति से संबंधित ब्यौरे दिनांक 08-05-2017 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II खंड-(3)-उप-खंड(i) और इस्पात मंत्रालय की वेबसाईट- www.steel.gov.in पर उपलब्ध है।

****